अनुदान संख्या 76 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 76–MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*40,00*	*32,99*	*–7,01*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5611,19,00		5615,47,00	5466,00,51	–149,46,49
पूरक	Supplementary	4,28,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					79,38,38
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*5,30,00*		*5,40,00*	*4,11,86*	*–1,28,14*
पूरक	*Supplementary*	*10,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6478,46,00		6478,47,00	5521,27,82	–957,19,18
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					932,09,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (14946.49 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 428.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.14946.49 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.428.00 lakhs obtained in February, 2004 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services					
मू.	O.	4032.00		3728.57	3519.30	–209.27
पु.	R.	–303.43				
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	200.00		. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00				
मुख्य शीर्ष "3054'' सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.	393494.00		392953.33	395227.58	+2274.25
पू.	S.	428.00				
पु.	R.	–968.67				
मुख्य शीर्ष "3055'' सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	3770.00		3520.00	3455.26	–64.74
पु.	R.	–250.00				
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in–aid to State Governments					
मू.	O.	156199.00		152481.72	143473.37	–9008.35
पु.	R.	–3717.28				
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	3424.00		925.00	925.00	. .
पु.	R.	–2499.00				

(I) 850.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान''- 200.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3054''- ''राष्ट्रीय राजमार्ग - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय शुल्क के संग्रहण की लागत''- 150.00 लाख रु. राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602''- ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें''- 500.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय'' के अंतर्गत 512.70 लाख रु. की बचत (4032.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा किफायत के रूप में कटौती किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, कम विदेशी दौरे किए जाने और सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिप्राप्तियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - अन्य व्यय- सड़क निर्माण कार्य''- 794.34 लाख रु. की बचत (2209.42 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान के अंदर नियोजित लक्ष्यों में परिवर्तन आने के कारण हुई।

(खा) ''जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान''- 330.33 लाख रु. की बचत (592.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.850.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” - “Other Expenditure – Lumpsum provision for Project/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim” – Rs.200.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(B) Major Head “3054” - “National Highways - National Highways Permanent Bridges - Cost of Collection of Fees Payable to States/UTs” - Rs.150.00 lakhs - due to non-receipt of claims from State Governments.

(C) Major Head “3602”-“Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Roads of Inter – State or Economic Importance” – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the Union Territory Governments.

(II) Under Major Head “3451” -“Secretariat – Ministry of Road Transport and Highways”– saving of Rs.512.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4032.00 lakhs) was due to economy cut by Ministry of Finance, non-filling up of vacant posts, less foreign tours and non-finalisation of Information Technology procurements by Director General Border Roads.

(III) Under Major Head “3054” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Strategic and Border Roads – Other Expenditure – Road Work” – saving of Rs.794.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2209.42 lakhs) was due to change in targets planned inside Bhutan.

(B) “District and Other Roads - Road Works - Grants from Central Road Fund to U.T. Governments without Legislature” - saving of Rs.330.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.592.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-submission of proposals.

(गा) "सामान्य''-

(क) "अनुसंधान और विकास - राजमार्ग अनुसंधान''- 418.39 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी और प्रशासनिक कारणों के लिए कम संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने, नामांकन की बजाय प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने के आधार पर प्रक्रियात्मक परिवर्तन को देखते हुए नई परियोजनाओं को स्वीकृत न किए जाने और किफायत और अन्य प्रतिबंधों की वजह से सीमित संख्या में विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधि को अंतरण''- 600.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुमान से कम संग्रहण होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3055'' - "अनुसंधान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(क) "सड़क सुरक्षा''- 138.39 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और प्राधिकृत निधि की तुलना में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण भी हुई।

(ख) "मॉडल ड्राइवर प्रशिक्षण विद्यालय''- 135.00 लाख रु. की बचत (610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आधार पर संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य''-

(क) "सड़क रख-रखाव''- 2610.56 लाख रु. की बचत (17202.54 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीन के अध्ययन समूह के सड़क लक्ष्यों में

(C) "General" –

(a) "Research and Development – Highway Research" – saving of Rs.418.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to less number of training programmes for technical and administrative reasons, non-sanction of new projects in view of procedural change from nomination basis to competitive bidding and restricted visits abroad owing to economy and other restrictions.

(b) "Transfer to/from Reserve Fund/Deposit Account – Transfer to National Highways Permanent Bridges Fees Fund" – saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to less collections than estimated.

(IV) Under Major Head "3055" – "Research" - savings occurred under the following heads:-

(a) "Road Safety" – saving of Rs.138.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and also owing to less utilisation of funds by Directorate of Advertising and Visual Publicity against the fund authorised.

(b) "Model Driver's Training School" - saving of Rs.135.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.610.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage on the basis of training programme on hand.

(V) Under Major Head "3601" – saving occurred under the following heads :-

(A) "Non-Plan Grants – Strategic and Border Roads – Road Works" –

(a) "Road Maintenance" - saving of Rs.2610.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17202.54 lakhs) was due

गिरावट आने और पुनःसतहीकरण के लक्ष्यों में कमी आने के कारण हुई।

(ख) "हवाई ढुलाई प्रभार''- 431.44 लाख रु. की बचत (1090.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के अनुसार वायुसेना से हवाई ढुलाई के उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(खा) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - राज्य की सड़कों के लिए अनुदान''- 10853.16 लाख रु. की बचत (87560.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा वाहनों पर अधिक लदान के संबंध में दी जा रही अनुमति के मुद्दे पर लगे अस्थायी प्रतिबंध (दिसंबर, 2003 में हटाया गया) की वजह से राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान - अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें''- 3048.24 लाख रु. की बचत (9500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्यों द्वारा वाहनों पर अधिक लदान के संबंध में दी जा रही अनुमति के मुद्दे पर लगे अस्थायी प्रतिबंध (दिसंबर, 2003 में हटाया गया) की वजह से राज्य सरकारों द्वारा आबंटित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण भी हुई। पहले से स्वीकृत अंतर्राज्यीय संयोजक और आर्थिक महत्व के निर्माण कार्यों में व्यय की प्रगति भी धीमी थी।

(घा) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सड़क परिवहन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण - सड़क सुरक्षा और प्रदूषण परीक्षण''- 204.78 लाख रु. की बचत (230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602'' - "संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "दिल्ली में सड़कें''- 1889.00 लाख रु. की बचत (2705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

to decrease in China Study Group road target and reduction in resurfacing targets.

(b) "Air Lift Charges" – saving of Rs.431.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1090.00 lakhs) was due to non-availability of Air lifts as planned from Air Force.

(B) "Grants for State Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Grants for State Road" – saving of Rs.10853.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.87560.00 lakhs) was due to non-utilisation of allocated funds by State Governments as there was a temporary ban (lifted in December, 2003) on issue of permission being granted by states allowing overloading of vehicles.

(C) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Grants from Central Road Fund – Road of Inter-State or Economic Importance" – saving of Rs.3048.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9500.00 lakhs) was due to less number of proposals received from the states and also owing to non-utilisation of allocated funds by State Governments as there was a temporary ban (lifted in December, 2003) on issue of permission being granted by states allowing overloading of vehicles. There was also slow progress of expenditure in already sanctioned Interstate Connectivity and Economic Importance Works.

(D) "Grants for Central Plan Schemes – Road Transport Research and Training – Road Safety and Pollution Testing" – saving of Rs.204.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.230.00 lakhs) was due to less claims received from State Governments than anticipated.

(VI) Under Major Head "3602" - "Grants for UT Plan Schemes - Grants from Central Road Fund" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Roads in Delhi" - saving of Rs.1889.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2705.00 lakhs) was due to less number of proposals received from Union Territory Government.

(खा) ''पांडिचेरी में सड़कें''- 110.00 लाख रु. की बचत (219.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत 86.95 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 72 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1176.08 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव''-- 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.91 लाख रु. था।

(खा) ''सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सड़क रख-रखाव''- 676.08 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1122.15 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3054'' - ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध द्वारा रख-रखाव''- 2083.55 लाख रु. का अधिक व्यय (425.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 69379.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''योजनेतर अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य''- 3755.56 लाख रु. का अधिक व्यय (37366.46 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सतहीकरण के लक्ष्यों में वृद्धि होने तथा उत्तरी कमान क्षेत्र में समापन तिथि में संशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Roads in Pondicherry" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.219.00 lakhs) was due to less number of proposals received from the Union Territory Government.

(VII) Under one head saving of Rs.86.95 lakhs occurred constituting 72 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1176.08 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant under Major Head "3054"- under the following heads:-

(A) "National Highways – Road Works – Maintenance by Border Roads Wing" – Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.499.91 lakhs.

(B) "Strategic and Border Roads – Road Works - Road Maintenance" – Rs.676.08 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1122.15 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3054"-"National Highways - Road Works - Maintenance By Roads Wing"- excess of Rs.2083.55 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.69379.00 lakhs including supplementary grant of Rs.425.00 lakhs) was due to meeting the requirement of repairs of flood damaged National Highways stretches of Assam, West Bengal, Orissa, Bihar and Uttar Pradesh.

(B) Major Head "3601" -

(a) "Non-Plan Grants - Strategic and Border Roads - Road Works - Road Works under BRDB" - excess of Rs.3755.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37366.46 lakhs) was due to increase in surfacing targets and revised date of completion in the Northern Command Area.

(ख) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य''- 700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क महानिदेशक द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों पर अतिरिक्त लक्ष्यों को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Grants for Central Plan Schemes - Strategic and Border Roads - Road Works - Road Works under BRDB" – excess of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to meeting additional targets on Strategic Roads in North Eastern Region by Director General Border Roads.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, समग्र बचतें (*128.14 लाख* रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए *10.00 लाख* रु. के पूरक विनियोग से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 24 प्रतिशत थीं।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.128.14 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.10.00 lakhs* obtained in February, 2004 and constituted 24 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	*O.*	*530.00*	*540.00*	*411.86*	*–128.14*
पू.	*S.*	*10.00*			

(I) ''राष्ट्रीय राजमार्ग - सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य'' के अंतर्गत *127.31 लाख* रु. की बचत (*500.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से हुई क्योंकि व्यय किए जाने संबंधी स्वीकृति समय पर जारी नहीं की जा सकी थी।

(I) Under "National Highways - Road Works - Works under Roads Wing" - saving of *Rs.127.31 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.500.00 lakhs*) was due to some administrative reasons as the sanction for incurring expenditure could not be issued in time.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	28500.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–28500.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	573411.00			
पू.	S.	1.00	525660.00	523149.82	–2510.18
पु.	R.	–47752.00			
मुख्य शीर्ष "7075" अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7075" Loans for Other Transport Services				
मू.	O.	45935.00			
			28978.00	28978.00	. .
पु.	R.	–16957.00			

(I) 28500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.28500.00 lakhs remained wholly unutilised under Major Head "4552"- "Other Expenditure – Lumpsum provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(II) Under Major Head "5054"- "National Highways" - savings occurred under the following heads:-

(का) "स्थायी पुल - राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित कार्य"- 1897.13 लाख रु. की बचत

(A) "Permanent Bridges – Work Financed from National Highways Permanent Bridges Fees Fund"- saving of Rs.1897.13 lakhs (against the

(8600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) "सड़क निर्माण कार्य - सड़क स्कंध के अंतर्गत निर्माण कार्य"- 64219.77 लाख रु. की बचत (329671.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी और प्रशासनिक कारणों तथा व्यय की प्रवृति के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने की वजह से पश्चिम बंगाल कारीडोर के निर्माण कार्य के प्रारंभ न किए जाने के कारण हुई। बचतें प्रतिपूर्ति प्रक्रिया, साख पत्र भूमि अधिग्रहण समस्या, पर्यावरण/वानिकी समाशोधन, भूमि की परिस्थितियों/मृदा संबंधी आंकड़ों में परिवर्तन के संबंध में प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण भी हुईं । इसके अलावा, संविदा प्रदान करने के कार्य को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलंब के कारण पश्चिम बंगाल में एनएच- 34 के सुधार कार्य को शुरू नहीं किया जा सका।

(III) मुख्य शीर्ष "7075" - "सड़कें और सेतु - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (बाह्य सहायताप्राप्त स्कीमें)" के अंतर्गत 16957.00 लाख रु. की बचत (45935.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5054" - "सामरिक महत्व की और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (13357.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 15425.68 लाख रु. था।

6. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5054" - "राष्ट्रीय राजमार्ग - मशीनरी तथा उपस्कर - मशीनरी तथा उपस्कर" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं- 429.04 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "4552" से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

sanctioned provision of Rs.8600.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by the State Governments.

(B) "Road Works – Works under Roads Wing" – saving of Rs.64219.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.329671.00 lakhs) was due to non-starting of work on West Bengal Corridor owing to technical and administrative reasons and reduction by the Ministry of Finance at revised estimates Stage as per expenditure trend. Saving was also due to procedural delay on account of re-imbursement procedure, Letter of Credit, Land acquisition problems, Environment/ Forest clearance, change in ground conditions/ soil data. Also, the work of improvement of NH-34 in West Bengal could not be started due to delay in finalisation of award of contracts.

(III) Under Major Head "7075" – "Roads and Bridges – Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Highways Authority of India (externally aided schemes)" – saving of Rs.16957.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.45935.00 lakhs) was due to reduction of provision by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

5. The above savings were partly (Rs.13357.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2004) under Major Head "5054" - "Strategic and Border Roads – Road Works – Works under BRDB". Actual excess, however, was Rs.15425.68 lakhs.

6. Savings were also offset by excess under Major Head "5054" - "National Highways - Machinery and Equipment - Machinery and Equipment" - excess of Rs.429.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" for utilisation in the schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.

7. *केन्द्रीय सड़क निधि:–*

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लिटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000-01 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए 2 जून, 1998 से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/- रु. प्रति लिटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनर्संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को यह निधि जारी की जाती है।

वर्ष 2003-04 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

7. ***Central Road Fund:–***

The fund is financed from part (3.5 paise per litre) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provision of 2000-2001 an additional tax of Rs.1/- per litre has been levied on Petrol with effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. The additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund.

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows :-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening balance	2758,55,49
प्राप्तियां	Receipts	3033,00,00
अदायगियां	Payments	2836,45,27
अंतशेष	Closing balance	2955,10,22

8. *राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि:–*

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत 25.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 100.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य

8. ***National Highways Permanent Bridges Fees Fund:-***

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than Rs.25.00 lakhs and upto Rs.100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and there after all the bridges costing more than Rs.100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are

क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में ''राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि'' को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

वर्ष 2003-04 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fees Fund" in the Public Account of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilised for development of National Highways.

The Account of the Fund for 2003-2004 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening balance	178,48,18
प्राप्तियां	Receipts	94,00,00
अदायगियां	Payments	67,02,87
अंतशेष	Closing balance	205,45,31